न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) शिवगंज जिला सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर०ए०एस०

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
मांगीलाल पुत्र दरगारामजी जाति मीणा निवासी जुबलीगंज तह. शिवगंज	बनाम	लादाराम पुत्र जोगारामजी जाति रेबारी व अन्य निवासी मनादर तह० शिवगंज
विद्वान अधिवक्ता श्री परीक्षित कुमार		विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा अप्रार्थी सं० 1 ता 3

तहसीलदार शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

रा०प्रा० पत्र स० 51/2024
दिनांक 25.04.2025

–::आदेश::–

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री परीक्षित कुमार ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व उसके परिवार एवं अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम जुबलीगंज, पटवार क्षेत्र मनादर–2, भू.अभि.नि. क्षेत्र कैलाशनगर, तहसील शिवगंज, जिला सिरोही में पास–पास में आई हुई हैं। प्रार्थी व उसके परिवार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2006 सरहद मौजा जुबलीगंज में आई हुई स्थित हैं। जिस खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते के अधिकार व रास्ते का राजस्व रेकर्ड में तरमीम करवाने के लिये प्रार्थी द्वारा अपनी स्वयं की ओर से एवं अन्य सहखातेदारान् की ओर से उनकी सहमति व अनुमति से सभी खातेदारान् के हित अधिकारों के लिये उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया जा रहा हैं। प्रार्थी व उसके परिवार की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम जुबलीगंज पटवार क्षेत्र मनादर–2, भू.अभि. नि. क्षेत्र कैलाशनगर, तहसील शिवगंज में खसरा नम्बर 2006 रकबा 2.7680 हैक्टर किस्म ब 3 आई हुई स्थित हैं। जिसके दक्षिण दिशा की ओर रास्ते की तरफ अप्रार्थी संख्या एक की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2032 रकबा 1.4083 हैक्टर किस्म ब 3, अप्रार्थी संख्या दो की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2033 रकबा 0.6232 हैक्टर किस्म ब 3, अप्रार्थी संख्या तीन की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2011/1 रकबा 2.6628 हैक्टर किस्म ब– 3, अप्रार्थी संख्या चार की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2012 रकबा 1.2950 हैक्टर किस्म ब 3. अप्रार्थी संख्या पांच की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2013 रकबा 0.4047 हैक्टर किस्म ब–3. अप्रार्थी संख्या छः की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2017 रकबा 1.3597 हैक्टर किस्म ब–3. अप्रार्थी संख्या सात की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2018 रकबा 2.2905 हैक्टर किस्म ब 3 एवम् अप्रार्थी संख्या आठ लगाय तेरह की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2008 रकबा 0.8822 हैक्टर किस्म ब 3 आई हुई स्थित हैं। प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 2006 में आने जाने हेतु मुख्य सड़क से होते हुये अप्रार्थीगण संख्या एक के खेत खसरा नम्बर 2032 के पश्चिमी माठ एवम् उत्तरी माठ के सहारे सहारे एवम् अप्रार्थी संख्या दो के खेत खसरा नम्बर 2033 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे होते हुये अप्रार्थी संख्या तीन के खेत खसरा नम्बर 2011/1 के पश्चिमी, उत्तरी एवम् पूर्वी माठ के सहारे सहारे एवम् अप्रार्थी संख्या चार के खते खसरा नम्बर 2012 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे व अप्रार्थी संख्या पांच के खेत खसरा नम्बर 2013 के दक्षिणी माठ के सहारे सहारे होते हुये अप्रार्थी संख्या छः के खेत खसरा नम्बर 2017 के पूर्वी माठ के सहारे सहारे होते हुये, अप्रार्थी संख्या सात के खेत खसरा नम्बर 2018 के मध्य में स्थित माठ के सहारे सहारे होते हुये अप्रार्थी संख्या आठ लगाय तेरह के खेत खसरा नम्बर 2008 के पश्चिमी माठ के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर की ओर होते हुये प्रार्थी के खेत तक निकटम रास्ता हैं जिस रास्ते के अलावा निकटम अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 2006 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 2032, 2033, 2011/1, 2012, 2013, 2017, 2018, 2008 में प्रार्थी द्वारा चाहा गया [illegible] रास्ता संलग्न नजरी नक्शे में बरंग लाल रंग से दर्शाया गया हैं। उपरोक्त [illegible] आने जाने हेतू मुख्य रास्ते से अन्य कोई निकटम रास्ता मौजुद नहीं है। [illegible] खेत खसरा नम्बर 2032, 2033, 2011/1, 2012, 2013, 2017, 2018, 2008 में से संलग्न नजरी नक्शा के दर्शित अनुसार दक्षिण से उत्तर की ओर होते हुये प्रार्थी को उसके खेत खसरा नम्बर 2006 में आने जाने हेतु रास्ता भूमि दिलाया जाना कानूनन आवश्यक एवम् लाजमी हैं। प्रार्थी को उसके खेत खसरा नम्बर 2006 में आने जाने हेतू अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2032, 2033, 2011/1, 2012, 2013, 2017, 2018, 2008 दक्षिण से उत्तर की ओर होते हुये सलंग्न नजरी नक्शा अनुसार 6 मीटर चौड़ाई में रास्ता दिलाये जाने पर प्रार्थी नियमानुसार राशि अदा करने को तैयार हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:03:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

.... शेष पेज संख्या दो पर

प्रकरण सं0 51/2024
मांगीलाल बनाम लादाराम वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 02.09.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र कमाक 510 दिनाक 2.09.2024 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। दिनांक 26.11.2024 को अप्रार्थी सं0 1 व 3 की और से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा ने वकालतनामा पेश किया व अप्रार्थी सं0 2 की और से अंडरटेकिंग ली गई। इसी दिनांक अप्रार्थी सं0 4 ता 8 व 10 ता 13 के नोटिस तामील होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 05.03.2025 को अप्रार्थी सं0 2 की और से अधिवक्ता श्री दिलीपसिंह देवडा ने वकालतनामा पेश किया व अप्रार्थी सं0 9 का नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 19.03.2025 को अप्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया व इसी दिन तहसीलदार शिवगंज से रास्ते का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिस पर दिनांक 16.04.2025 को उभय वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

तहसीलदार शिवगंज ने रास्ते का प्रस्ताव उनके पत्र कमांक 160 दिनांक 18.03.2025 के द्वारा पेश किया। उनके अनुसार रिपोर्ट इस आशय से प्राप्त हुई कि प्रार्थी को स्वयं की जोत में जाने के लिए रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रवेश करने का प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थी के खसरे में प्रवेश करने के लिए प्रस्तावित रास्ता ग्राम जुबलीगंज के खसरा नं0 2033, 2032, 2011/1, 2013, 2012, 2017, 2018, 2008 में से गुजरता है वर्तमान में खसरा संख्या 2033 व 2032 के खातेदारों द्वारा बंद किया गया है बाकी खसरों में रास्ता खुला है। व न्यूतम दुरी राजस्व रेकर्ड (नक्शा लटठा) अनुसार खसरा संख्या 2344/1, 2011/1, 2012, 2017, 2018, 2008 में से गुजरेगा जो वर्तमान खुले मार्ग लम्बाई 796 मीटर व न्यूनतम दूरी का मार्ग लम्बाई 708 मीटर में 88 मीटर कम है। निकटत्तम प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 708 मीटर एंव चौडाई 4 मीटर अर्थात कुल 2832 वर्ग मीटर है। वर्तमान में चल रहे प्रस्तावित मार्ग की लम्बाई 796 मीटर व चौडाई 4 मीटर अर्थता कुल 3184 वर्ग मीटर है वर्तमान वल रहे व खुले मार्ग की डी.एल.सी.दर 22797 है। प्रस्तावित रास्ते में अन्य कोई सरचंना निर्मित नहीं है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि की डी.एल.सी.दर प्रति हैक्टयेर 71600/– रूपये है। जिसको अनुसार वर्तमान खुले मार्ग की दर 22797/–रूपये व न्यूनतम दुरी मार्ग की कीमत 20277/– रूपये है। प्रस्तावित रास्ते की अर्थात लघुत्तम मार्ग का क्षेत्रफल 2832 वर्ग मीटर है किन्तु वर्तमान में चल रहे प्रस्तावित मार्ग का क्षेत्रफल 3184 वर्ग मीटर है। तथा वर्तमान चल रहे के खसरा नम्बर 2032 व 2011/1 के खातेदारो ने ही रास्ता अवरुद्ध किया गया है। अतः तहसीलदार शिवगंज द्वारा वर्तमान में चल रहे मार्ग से ही रास्ता दिया जाना उचित बताया गया है।

तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर उभय वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तावित वर्तमान में चल रहे रास्ते से ही रास्ता दिया जाने पर अपनी सहमति बताई गई व कथन किये कि प्रार्थी अपने खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु वर्तमान चल रहे रास्ते का कई पीढीयों से उपयोग करता आ रहा है व वर्तमान में खसरा नम्बर 2032 व 2011/1 के खातेदारो ने ही रास्ता अवरुद्ध किया गया है। जिसे हटाकर हमें पूर्व से ही चल रहे रास्ते को दिलाया जाने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुए बताया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ता पूर्व से ही मौजुद है। तथा विधि के अनुसार अगर किसी राजस्व आराजी में पूर्व से आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध हो तो नया रास्ता नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:33:42 IST
Reason: SelfAttested

हमनें पत्रावली व तहसीलदार शिवगंज की रिपोर्ट का सावधानता से अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर गंभीरता से मनन किया तो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रार्थी को अपनी राजस्व आराजी में पंहुचने हेतु पूर्व से ही खसरा नं0 2032 व 2011/1 के खातेदारी भूमि में से ही होकर आवागमन करता था व इन्हीं 02 खातेदारों द्वारा वर्तमान में रास्ता अवरुद्ध किया गया है। जिससे तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तावित मार्ग बी से सी (वर्तमान में मौके पर चल रहा प्रस्तावित मार्ग) को स्वीकार किया जाना न्यायसंगत समझते है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

.... शेष पेज संख्या 3 पर

प्रकरण सं0 51/2024
मांगीलाल बनाम लादाराम वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

अतः तहसीलदार शिवगंज को आदेशित किया जाता है कि संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–ए (बी से सी) के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा जुबलीगंज तहसील शिवगंज के खसरा नं0 2006 रकबा 2.7680 हैक्टयर भूमि में आने जाने हेतु मौजा जुबलीगंज के **खसरा नं0 2033, 2032, 2011/1, 2013, 2012, 2017, 2018, 2008 में से** भू0 अभिलेख निरीक्षक कैलाशनगर के द्वारा प्रस्तावित खसरे (ऐनेक्चर–बी) में से 4 मीटर की चौडाई का रास्ता दिया जाने हेतु आदेश दिया जाता है। तथा प्रार्थी द्वारा एनेक्चर 'बी' के अनुसार संबंधित खातेदारों के खाते में दुगुनी राशि जमा कराने या खातेदारान द्वारा राशि नहीं लेने पर भुगतान प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय शिवगंज के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही सरकारी बिलानाम भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। तत्पश्चात खसरा नं0 2032 व 2011/1 के खातेदारान द्वारा उक्त रास्ते में किये गये अतिक्रमण को नियमानुसार हटाया जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा **एनेक्चर–'ए'** व **एनेक्चर–'बी'** को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाकर आदेश का अभिन्न अंग माना जावेगा। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
सहायक कलक्टर,
शिवगंज
दिनांक 25.04.2025

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

कमांक/कोर्ट/2025/243
प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालना कर एक माह में रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)
सहायक कलक्टर,
शिवगंज

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:03:42 IST
Reason: SelfAttested